# फर्द अहकाम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

परमानन्द बनाम रामफूल कौर आदि

मुकदमा संख्या / वर्ष : 2 / 2021

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 14/2/22<br>परमानन्द (12)<br>[illegible] | पत्रावली आज पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने हेतु तारीख पेशी से पूर्व दी आपकी तारीख पेशी पलटने हेतु पेश किये जाकर आज पेश हुए पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर जाहिर किया कि हम उभय पक्ष राजी हेतु राजीनामा हो गया है उसके मुताबिक आदेश जारी कर दिये जावे। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा की पहचान उनके अधिवक्ताओं ने की। आदेश मुख्य के लिखाया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.3.22 को पेश हो<br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.) | परमानन्द<br>श्री [illegible] एडवो.<br>हरी शंकर<br>identify |
| | 12/3/22 | पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेन्च शाहपुरा में पेश हुई। प्रकरण में मुताबिक राजीनामा मौजूदा आदेश जारी हो चुके हैं प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>अध्यक्ष<br>राष्ट्रीय लोक अदालत<br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान<br>सदस्य | |

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी** :– **श्री मन मोहन मीना , आर ए एस**
**प्रार्थना पत्र संख्या** :– **02/2021**

**उनवान**

1 परमानन्द
2. सीताराम
3 हरिशंकर
} पि0 भूरा जाति जाट निवासी बगडियान तन छासा तहसील शाहपुरा

**बनाम**

1 रामसिंह
2. बंशी
3 मेघराज
4 राजेन्द्र
} पि0 स्व0 कालूराम राणा जाति राणा निवासी छारसा तहसील शाहपुरा

5 श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि स्व0 कालूराम राणा राणा निवासी छारसा तहसील शाहपुरा
6 सायरी पत्नि घनश्याम पुत्री स्व0 कालूराम राणा निवासी चैनपुरा चौराहा निवाई जिला टोंक
7. लिछमा पत्नि सीताराम निवासी मीणो का मौहल्ला राजपूत कॉलोनी दुर्गापुरा जयपुर
8. खुशी पत्नि रासजू एवं छोटकी पुत्री स्व कालूराम निवासी मीणो का मौहल्ला राजपूत कॉलोनी दुर्गापुरा जयपुर ।
9. रेणु पुत्री राजू एवं छोटकी पुत्री स्व0 कालूराम निवासी चैनपुरा चौराहा निवाई जिला टोंक
10 रामचरण
11 रोहिताश
12 गजानन्द
} नि0 स्व0 मालीराम जाति राणा निवासी छारसा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

13कृष्णा पत्नि नवल जाति राणा निवासी शिवाक्षी कॉलोनी नाले पर प्रतापपुरा दुर्गापुरा जयपुर
14 द्रोपदी पत्नि रतनलाल पुत्री स्व0 मालीराम राणा
15 सुमित्रा पत्नि गोरधन पुत्र स्व0 मालीराम राणा निवासी प्लॉट नं0 591 राणो का मौहल्ला दुर्गा माता मंन्दिर के पास दुर्गापुरा जयपुर ।
16 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गठवाडी जरिये प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक गठवाडी जिला जयपुर

**प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010**

**आदेश दिनांक 14.2.2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आ0,ख0नं0 1217 रकबा 0.20 है0, 1218 रकबा 0.03 है0, 1219 रकबा 0.33 है0, 1220 रकबा 0.02 है0, 1221 रकबा 0.15 है0, 1223 रकबा 0.25 है0, 1224 रकबा 0.04 है0, 1225 रकबा 0.46 है0, 1226 रकबा 0.49 है0, 1416 रकबा 0.04 है0, 1417 रकबा 0.11है0, 1418 रकबा 0.07 है0, कुल किता 12 रकबा 2.47 है0 वाके ग्राम छारसा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसमे प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा ख0नं0 1194 रकबा 0.42 है0, 1194/1841 रकबा0.37 है0, 1195 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम छारसा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसकी खातेदारी मृतक कालूराम मालीराम पि0 स्व0 उमदा जाति राणा निवासी छारसा की खातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 15 उनके विधिक वारिसान है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने आने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1194/1841 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर 48 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा तथा खसरा नम्बर 1194 की दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 1216 की उत्तरी सीमा के उत्तरी पूर्वी कोण तक 120 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा इस प्रकार कुल 208 वर्गमीटर लम्बा व 3 मीटर चौडा कुल 624 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अप्रार्थीगण सं0 1से 5 व 10 की ओर से श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 1195 रकबा 0.06 है0 सम्पूर्ण ही रास्ते के रूप में उपयोग होने से सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1194/1841 में से 0.264 है0 तथा 1194 रकबा 0.42 है0 मं से 0.0512 है0 भूमि कुल 0.1376 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई । रास्ते हेतु भूमि के सम्बन्ध में आज पक्षकारान उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा जाहिर किया गया कि पक्षकारान ने अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 में संशोधन कर रास्ते हेतु सहमति हो गई है। जितनी भूमि रास्ते हेतु अप्रार्थीगण ने दी है उसकी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली है । पक्षकारान ने जाहिर किया कि उक्त राजीनामा के मुताबिक रास्ते में हम उभय पक्ष आने जाने के काम में लेते रहेगे तथा कोई पक्ष बाधा कारित नहीं करेगें । उभय पक्ष की पहचान उनके अधिवक्त श्री सुनील शर्मा एडवाकेट ने प्रार्थीगण की तथा श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट ने अप्रार्थीगण पक्ष की गई ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

इस प्रकार में राजीनामा होने से लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से मुताबिक राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1195, 1194/1841, 1194 की दक्षिणी सीमा के लगते 10 फुट चौडाई में खसरा नम्बर 1217 की पश्चिमी सीमा तक सिवायचक गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा । तहसीलदार शाहपुरा को निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 14.2.2022 को सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान